

मान्यता

:: कार्यलय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नागौर ::

50  
20.4.97

:- मान्यता आदेश :-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:- प0310/7331 जिआ-6/14 जयपुर  
दिनांक 27.09.93 को केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं की मान्यता के संबंध में  
है, के अन्तर्गत निम्नलिखित केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था की मान्यता में अप्रिवृद्धि  
उक्त नाम के तहत अंतिम स्तर हेतु दिनांक-1.7.96 से 30.06.97 तक के लिए  
प्रदान की जाती है। इन संस्थाओं को राज्य सरकार के नवीन मान्यता नियम  
दिनांक 27.03.93 में वर्णित शर्तों का पूर्णतया पालन करना होगा। नवीन नियम  
शर्तों की प्राप्ति न होने पर संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी।  
पिछली तात्कालिक मान्यता संस्था की होगी।

=====

क्रमांक	नाम संस्था व स्थान	स्तर	दिनांक
---------	--------------------	------	--------

=====

1. मरुधर डिफेंस स्कूल, मेड़तासिरी प्राथमिक अस्पायर्स

*(Signature)*  
जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा नागौर।

प्रार्थी: शिक्षा/प्रारम्भिक/मान्यता/प्राथमिक-1/97/2212 दिनांक- 11/4/97

प्रतिनिधी:- निम्नलिखित को सूचनायें एवं प्राप्ति के लिए:-

1. मुख्य/व्यवस्थापक, मरुधर डिफेंस स्कूल, मेड़तासिरी
2. वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी.....
3. कार्यलय जिला शिक्षा।

-----  
जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा नागौर।

11/4/97  
खे. वि.

:: कार्यलय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान- बीकानेर ::  
6-3-2001

121  
27/03/01

:: आदेश ::

121

निर्देशानुसार मस्कर डिफेन्स स्कूल, मेड़तातिटी जिला नागौर  
की राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम-1993 एवं  
सम्बन्धित विधे एवं तंत्रिका के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सत्र  
2001-2002 से उच्च प्राथमिक स्तर की अर्थात् मान्यता अग्रेजी माध्यम से तीन सत्र  
हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अर्थात् के आधार पर परीक्षा-ना एवं संस्था  
के कार्यरत समस्त अध्यापक कुशलित होने की शर्त पर दी जाती है ।

मान्यता नियमों की शर्तों न करने उच्चतम अधिकारी द्वारा  
निरीक्षण के समय विद्यमान स्थिति बाधे जाने पर संस्था की मान्यता रद्द की जा  
सकती है । तीन सत्र की अर्थात् मान्यता समाप्त होने पर प्रदत्त अर्थात् मान्यता  
स्थल: ही समाप्त समझे ।

20  
अवर निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर ।

क्रमांक गिधिरा/प्रार/प्राथ/ती/5703/2001/37

दिनांक 27/6/2001

- 1- उव निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर ।
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नागौर ।
- 3- सचिव, मस्कर डिफेन्स स्कूल, सुभाष नगर, मेड़तातिटी जिला नागौर ।
- 4- रक्षित ब्रायली ।

अवर निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर ।

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) नागौर

## कार्यालय-आदेश

रजिस्टर्ड  
18.05.2010

राज्य सरकार के पत्रांक: प. 9[2] शिक्षा-5/2005 जयपुर दिनांक: 10.01.2010 की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/मा/अ-4/21313/वॉ-1/2010-11 दिनांक: 18.05.2010 द्वारा अनुमोदन के पश्चात् सलग्न सूचीनुसार गैरसरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय को शिक्षा सत्र 2010-11 में माध्यमिक स्तर में कर्मान्त करने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है।

1. सत्र 2010-11 में कक्षा-9 एवं सत्र 2011-12 में कक्षा-10 प्रारंभ करनी होगी।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के मान्यता (सम्बद्धता) संबंधित नियमों की पालना करनी होगी एवं बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र-क) मय शुल्क के शीघ्र उपलब्ध करवाना होगा।
3. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
4. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन से पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
5. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध करवाने होंगे।
6. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 की पालना करनी होगी।

ॐ

जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक-प्रथम) नागौर  
दिनांक: 18.05.2010

क्रमांक: शिविरा/माप्र/सामा/मान्यता/2010/3636-42

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. श्रीमान सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
4. श्रीमान उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर/अजमेर।
5. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, नागौर।
6. प्रधानाचार्य एवं संयोजक समान परीक्षा राउमावि, डेगाना।
7. संबंधित विद्यालय संयुक्त शिक्षा संस्थान।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड / नि:शुल्क प्रकाशन हेतु सवांदादाता .....।
9. गार्ड फाईल।

ॐ

जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक-प्रथम) नागौर